

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करार हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। दुरस्ती वस्तुतः लिमिटीड ट्रस्टि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजारव अभिलेख में होने योग्य अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खालेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खालेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
जोगड़ा	172	मौगीलाल पुठ मीचाराज, जाहे गाट	75	5.17	मौगुराम पुठ मीचाराज जाहे गाट	75	5.17

क्रमांक :- 411
21.12.21

प्रतिलिपि पालनाथ :-
1 उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रमारी
शिविर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डोडवाना)
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डोडवाना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक 21.12.21

शिविर प्रमारी
शिविर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डोडवाना)
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डोडवाना)
दिनांक 21.12.21, पं.स. मौलासर

क्रमांक :-
प्रतिलिपि पालनाथ :-

1. पटवार हल्का 401137 को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का रक्षण नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर